Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Service) Bill-As Passed by Rajya Sabha

माननीय सभापति **:** आइटम नम्बर- 23, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी ।

?(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your permission, I rise to move: ***

?That the Bill to regulate the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats and do not show these placards.

? (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल **:** सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बहुत ही एक लिमिटेड परपज के लिए इस महान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं ।?(व्यवधान) माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 324 के तहत भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके लिए कुछ कानून बनाने की बात की थी ।?(व्यवधान) कई साल बीत गए, लेकिन कानून नहीं बना । वर्ष 1991 में एक कानून बना, लेकिन उस कानून में अप्वाइंटमेंट का कोई जिक्र नहीं था ।?(व्यवधान) इसलिए फिर कोई पीआईएल में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप गैप अरैंजमेंट किया कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए, तब तक यह व्यवस्था रहेगी ।?(व्यवधान) इसलिए पार्लियमेंट के समक्ष कानून अप्वाइंटमेंट को लेकर है ।?(व्यवधान) जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं ।?(व्यवधान) अप्वाइंटमेंट को लेकर कोई कानून नहीं था ।?(व्यवधान) इसलिए मैं यह कानून लेकर महान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं । इसको राज्य सभा ने पास किया है । यह राज्य सभा में 10 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें कुछ ऑफिशियल अमेंडमेंट्स थे, जो मैं पहले जिक्र कर देता हूं । इस बिल में एक ऑफिशियल अमेंडमेंट क्लॉज सिक्स से संबंधित था ।?(व्यवधान)

जिसमें एक सर्च कमेटी थी । पहले सर्च कमेटी एक कैबिनेट सेक्रेट्री की अध्यक्षता में थी ।?(व्यवधान) इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से वह सर्च कमेटी अब लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में हो जाएगी और दो सेक्रेट्री उसके सदस्य होंगे ।?(व्यवधान) उसके बाद सेलेक्शन कमेटी सेम ही रहेगी, जो प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में है ।?(व्यवधान) इस बिल के क्लॉज दस में हमने ऑफिशियल अमेंडमेंट का प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी हो जाएगी । यह एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है । हमने तीसरा अमेंडमेंट किया है - कंडिशन ऑफ सर्विसेज । उसको लेकर क्लॉज पन्द्रह में एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति रूल्स नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे कि उनकी कंडिशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगी? सैलरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी । यह महामहिम राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे । क्लॉज पन्द्रह(ए) में एक न्यू क्लॉज इस ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है ।?(व्यवधान) जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वे अपनी ड्यूटी करते समय कोई ऐसा आदेश पारित करेंगे, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन होगा कि सीसी और ईसी अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे, तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी ।?(व्यवधान) यह प्रोटेक्शन होगा, इस तरह के ऑफिशल अमेंडमेंट्स मैं यहां लेकर आया हूं । यह एक्जेक्यूटिव का एक बड़ा काम था और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 50 में भी सेपेरशन ऑफ पावर, एक्जेक्यूटिव का वर्क एक्जेक्यूटिव करे, ज्यूडिशियरी का वर्क ज्यूडिशियरी करे, लेजिस्लेटिव का वर्क लेजिस्लेटिव करे, इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है ।?(व्यवधान) प्रोग्रेसिव लॉ है । मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पास करने का अनुरोध करता हूं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to share a few thoughts on the proposed Bill, that is, the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023. ? (*Interruptions*)

We are the biggest democracy in the world and hence, free, fair and impartial elections is an integral element of our political structure. ? (*Interruptions*) The Constitution makers, in their wisdom, entrusted Election Commission with the responsibility of conducting elections in the country. Today, we are here to discuss a Bill that will amend the manner of appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners to the Election Commission. ? (*Interruptions*)

The Bill seeks to provide that the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners will be appointed by the President on the recommendation of a Selection Committee, which shall consist of the Prime Minister as Chairperson, the Leader of the Opposition in Lok Sabha or leader of the single largest Opposition

party as Member, and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister as Member.

The Bill also provides for a Search Committee, which will prepare a panel of five persons for the consideration of the Selection Committee. The smooth functioning of our Election Commission is critical for ensuring a fair and unbiased electoral process and thus, upholding our democratic values.

Thus, this Bill must strengthen public trust in the electoral process and ensure that the integrity of the election system is protected.

With these comments, I conclude my speech and support the Bill on behalf of my YSR Congress Party. Thank you, Sir.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, भारत के संविधान की खूबसूरती यही है कि उसमें सभी के अधिकारों की व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है । संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बिल्कुल अच्छे से पृथकीकरण करता है ।? (व्यवधान) वैसे ही न्यायपालिका और विधायिका के बीच में भी यह पृथकीकरण करने के लिए अनुच्छेद 121 तथा 122 परोक्ष रूप से है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें, तो संसद में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा नहीं हो सकती है, और उसी प्रकार संसदीय कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को भी रोकने का काम हमारे संविधान ने किया है ।? (व्यवधान) यह इसलिए किया गया है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी रहिये और इसके साथ ही लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वच्छचारिता पर अंकुश लगाकर जनता के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, यही हमारे संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य था ।? (व्यवधान) हमारे देश में संसद की सर्वोच्चता को बनाये रखते हुए न्यायिक पुनरीक्षण के जरिये संसद की संप्रभुता को भी मर्यादित किया गया है । लेकिन हम लोग यह भी देखते हैं कि एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने यह जानते हुए कि जो बहुत सारी कमेटियां बनती थीं, उनमें माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे । कांग्रेस का व्यवहार, कांग्रेस के घोटाले इस तरह से रहे कि उनको जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के लायक भी कभी नहीं रखा ।? (व्यवधान) फिर भी मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कैबिनेट से परिवर्तन किया । विरोधी दल के जो सबसे बड़े नेता होंगे, चाहे वह लोकायुक्त का हो, चाहे वह पुलिस एक्ट में हो, सीबीआई डायरेक्टर हो, सभी में ये डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि कानून में स्पष्ट व्याख्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसका सदस्य होगा । माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विरोधी दल के जो बड़े नेता होंगे, उसके नेता को लेने का काम किया है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, दूसरी तरफ हमारा विपक्ष भी है, जिसको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आज इस देश का प्रधान मंत्री बनकर गरीबों की सेवा कर रहा है । उनको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं । उनको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे पिछड़े जाट समाज का एक बेटा इस देश में उप राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है ।? (व्यवधान) इस

तरह से ये जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज इस देश की जनता ने इन लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ा है । ये लोग केवल चाहते हैं कि परिवारवाद के तहत हम जो नेता बने हैं और शीर्ष पर अपनी-अपनी पार्टियों में बैठे हुए हैं, हम ही इस लोकतंत्र को चलाएंगे । गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित ?अगर इन समाजों के लोग इस देश के सिरमौर हैं, तो उनका बाहर मजाक उड़ाएंगे । यह इनकी विकृत मानसिकता है, जिसका सबक जनता इस बार वर्ष 2024 के चुनाव में और बुरी तरह से सिखाने जा रही है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, अगर मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का दुरुपयोग किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है ।? (व्यवधान) कौन नहीं जानता कि इस देश में जब तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने अपने निजी सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था । कौन नहीं जानता कि जब टीएन सेशन अपने आप में पूरे देश में जनतंत्र के उदाहरण बनकर मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तो उनके अधिकारों को तोड़ने के लिए दो और चुनाव आयुक्तों को बना दिया गया था । यह भी काम किसने किया, तो यह काम कांग्रेस ने किया है ।? (व्यवधान)

कौन नहीं जानता है कि एक सरकारी बाबू को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, जैसे ही वे हटे, तो वैसे ही उनको न केवल राज्य सभा का सांसद बनाया गया, बल्कि केन्द्र सरकार में मंत्री बनाने का काम किसी ने किया, तो यह कांग्रेस पार्टी ने किया है ।

इन लोगों ने लगातार, चुनाव आयुक्त को, संविधान निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध इसलिए कोई कमेटी नहीं बनाई ताकि ये अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त को चला सकें ।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में, कानूनी शून्यता का उल्लेख किया है । उसको हमारी सरकार ने बहुत ही ध्यान में रखा । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कानून मंत्री जी को, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद पहली बार, एक अनुसूचित जाति समाज के बेटे ने कानून मंत्री का पद संभाला है, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए जो विधेयक लाये हैं, यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है ।

मुझे यह भी ध्यान में आ रहा है, आज इनके स्वभाव के कारण कांग्रेस सत्ता में नहीं है । अगर कांग्रेस सत्ता में रहती और उस समय सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी करता, तो हम लोगों ने इसी सदन में यह भी देखा है कि एक 80 साल की बूढ़ी महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजारा भत्ता दो, तो यहाँ संविधान संशोधन कर दिया जाता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया । यह कांग्रेस का चरित्र है, जो कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था को, आज़ादी के साथ नहीं रहने देना चाहता है । कांग्रेस पार्टी की इन हरकतों को हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है । मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में, एक कैबिनेट मंत्री और विरोधी दल के जो सबसे बड़े नेता होंगे, चूंकि इनकी जो हरकतें हैं, उसके कारण कभी ये एलओपी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, को इसमें सदस्य के रूप में रखने की बात की गई है । उसके पहले माननीय कानून मंत्री जी के नेतृत्व में जो सर्च कमेटी बनेगी, वह भारत सरकार के सचिव या उसके समतुल्य लोगों में से पाँच लोगों के नाम तय होंगे और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि किसको बनाया जाए । यह सर्च कमेटी के द्वारा होगा ।

मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को यह इम्युनिटी दी गई है कि इन पर इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी निर्णय पर, कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं होगा । यह

इलेक्शन कमिश्नर्स को फ्री और स्वच्छ दिमाग से कार्य करने की भी पूरी आजादी देता है । इसके लिए भी मैं केन्द्र सरकार का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ । यह भी निर्णय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सैलरी मिलेगी ।

एक और अच्छी बात हुई है कि सब कुछ रहते हुए भी, जहाँ सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार संसद को है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकता है । यह बहुत ही अच्छी बात है । हमने यह भी देखा है कि कांग्रेस के राज में किस तरह से बाथरूम में जाकर खबर की जाती थी कि क्या-क्या निर्णय हुए हैं । इस सदन ने उस आदमी को इम्पीच करने के लिए प्रयास किया, तो यह कांग्रेस पार्टी ही है, जिसने उसको इम्पीचमेंट से बचाने का काम किया, उस पर कार्रवाई नहीं होने दी, जबकि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के सारे कार्यों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थीं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ । जब अनूप बर्णवाल केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अध्ययन किया तो यह पाया कि हमारे संविधान निर्माताओं की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सोच थी, वह इतने वर्षों में पूरी नहीं हुई है । लेकिन जिस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं की हर सोच को पूरा करने का अगर किसी ने काम किया है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं । चाहे गरीबों को अधिकार दिलाना हो, गरीबों को मुफ्त अनाज दिलाना हो, गरीबों को बिजली, गैस, आवास आदि की सुविधाएं दिलानी हों, तो इस देश के हर गरीब की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है । उसी प्रकार से, इस निर्णय को कि संसद इस पर कानून बनाए, यह 75 सालों से छूटा हुआ था, इस कानून को भी पूरा करने का काम किया है ।

मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि कांग्रेस वाले अपनी गलती मानने के बदले ईवीएम को दोष देते हैं । वे इसी धोखे में रहें और क्या गलती हो रही है, इसका वह एहसास नहीं करे । यह हमारे लिए बहुत अच्छा है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पारदर्शिता के लिए वे यह बिल लाये हैं और यह कानून बनने से सीईसी का काम बहुत अच्छी तरह से होगा ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राहुल रमेश शेवाले **(मुम्बई दक्षिण-मध्य) :** सभापति जी, आपका धन्यवाद ।

सभापति जी, मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूँ ।

सभापति जी, अनुच्छेद 324 (2) में लिखा है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होंगे, जो राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे ।

अध्यक्ष जी, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, और लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी । लेकिन उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जा सकता है । इसके परिणाम स्वरुप माननीय कानून और न्याय मंत्री जी ने यशश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह विधेयक पेश किया है ।

सभापति जी, यह विधेयक निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 को निरस्त करेगा । इसमें कहा गया है कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी । चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और सदस्य के रूप में लोक सभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधान मंत्री द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिसका मैं स्वागत करता हूँ ।

सभापति जी, इस विधेयक में यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा है, कि यदि लोक सभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा ।

सभापति जी, इस विधेयक के अनुसार एक खोज समिति बनाई गई है, जो चयन समिति के विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी । यह एक सकारात्मक कदम है, जिससे चयन समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के चयन में आसानी होगी और चयन में पारदर्शिता आएगी । मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ ।

सभापति जी, इस विधेयक के अनुसार सर्च कमेटी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और इसमें दो अन्य सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार के सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे और जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा । इससे अनुभवी व्यक्तियों का पैनल तैयार करने में आसानी होगी । मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह एक अच्छा प्रावधान इस बिल में किया है ।

सभापति जी, इस विधेयक के अनुसार चयन समिति उन अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकती है, जिन्हें खोज समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है । इससे खोज समिति का एकाधिकार भी ख़त्म होगा । यह मंत्री जी की अद्भुत सोच को दर्शाता है ।

सभापति जी, इस विधयेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सचिव पद के समकक्ष पद धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं और चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता रखते हों, का पैनल के लिए चयन किया जायेगा ।

विधेयक की एक और सकारात्मक विशेषता पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करना है । ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर माननीय कानून और न्याय मंत्री जी ने गहन अध्ययन करके इस विधेयक को तैयार किया है । वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं ।

सभापति जी, विधेयक में वही कार्यकाल बरकरार रखा गया है, जैसा कि वर्ष 1991 के अधिनियम में उल्लिखित है । साथ ही, सीईसी और अन्य ईसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

सभापति जी, विधेयक में व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग के सभी कामकाज सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे और किसी भी मामले पर सीईसी और अन्य ईसी के बीच मतभेद की स्थिति में इसका निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाएगा ।

सभापति जी, विधेयक में पहले की निष्कासन प्रक्रिया को बरकरार रखा गया है और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा देना चाहे, तो विधेयक में वर्ष 1991 के अधिनियम का वही प्रावधान बरकरार रखा है, जिसमें सीईसी और अन्य ईसी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं ।

सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार माननीय कानून और न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इन्ही शब्दों के साथ इस विधयेक का समर्थन करता हूँ ।

धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.

The office of Election Commission of India came into existence in the 1950s but it was in 1991 that the Parliament first framed the law. ? (*Interruptions*) Today, when the Law Minister stood up to place the Bill for consideration and passing after it has been passed in Rajya Sabha, he categorically stated that one thing was lacking in 1991 law and that was pointed out by the Supreme Court after a public interest litigation was filed. ? (*Interruptions*)

The Supreme Court said that the Parliament has to frame the law relating to appointment of Chief Election Commissioner of India. So, on that basis, now a Bill is before us for consideration and number of things have come up. While the Bill is in public domain, the major issue that came up for discussion, deliberation and criticism is that the Government is appropriating full power to appoint Chief Election Commissioner. The Supreme Court had suggested a model and in that model it was the Prime Minister of India, Leader of Opposition in Lok Sabha or the largest group in Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India. But those people who are criticising it fail to go into the details of the judgement of the Supreme Court where it is categorically stated that this is for a temporary period until and unless the Parliament frames a law. ? (*Interruptions*)

Today, the Bill has been placed before the Parliament by the Government or the Executive as is the practice in our country. Whatever Bills are to be placed in the Parliament are to be placed by the Government itself for framing the law. ? (*Interruptions*) But we should not forget one thing. Article 324 of our Constitution states that the Election Commission will comprise the Chief Election Commissioner and such Election Commissioners as the President may decide and this clearly stipulates that the Executive will suggest to the President and the President?s Notification will come.

The Constitution specifies that the President will appoint the CEC and ECs subject to the provisions of an Act of Parliament. The Executive?s role in appointing the CEC and EC was discussed in the Constituent Assembly as the President acts on the aid and advice of the Prime Minister. ? (*Interruptions*) Dr. Ambedkar had pointed out that the election machinery should be out of the control of the Government. ?

(*Interruptions*) Members of the Constituent Assembly agreed to leave the appointment mechanism of the ECI to the discretion of Parliament. ? (*Interruptions*) Here, there was a little distinction between Parliament making the law and the Executive appointing the CEC and EC. ? (*Interruptions*)

In 1991, as I had stated earlier, Parliament passed the Election Commission Act setting the salary of the CEC and ECs at the same level as the Supreme Court Judge. It did not provide for their appointment process, which continued to be decided by the President. In March, 2023, the Supreme Court declared that their appointment should not be done by the Executive. It mandated a selection process, which would hold until Parliament makes a law. ? (*Interruptions*) The court directed that the appointment should be done by the President on the recommendations of the Selection Committee. ? (*Interruptions*) The Selection Committee will consist of the Prime Minister, the Leader of Opposition in Lok Sabha and the Chief Justice of India. ? (*Interruptions*) Now, this Bill is making a correction to it. ? (*Interruptions*) The Bill before us today has a Selection Committee, but instead of Chief Justice of India it has a Cabinet Minister proposed by the Prime Minister. ? (*Interruptions*)

It is said that the Selection Committee is dominated by the Government. ? (*Interruptions*) The critics say that the Government has a majority, which may undermine the independence of the Election Commission of India. ? (*Interruptions*) But are we not aware that the heads of several other independent bodies such as Chief Information Commission, Central Vigilance Commission are also appointed by a panel similar to the one proposed by this Bill. ? (*Interruptions*)

Appointments to the constitutional bodies such as Union Public Service Commission and Comptroller and Auditor General of India are made by the President. I am inclined to mention here that the Chief Justice of India, being in the Committee to recommend the appointment, raises the question of the violation of the doctrine of separation of power as the appointment falls in the domain of the Executive. Since the Chief Justice of India is going to be a member, as it was proposed at that time while recommending the Committee, in case there is a case of impropriety that comes up against the Election Commission of India members in the court, it would cause embarrassment to the office of Chief Justice of India. The court also had rejected, we should not forget, the National Judicial Appointments Commission and refused to involve an elected executive on the pretext of judicial independence being the basic structure. So, in this case, how can it be prudent to be a part of the Selection Committee?

Amidst all the talk of democratic backsliding in India in certain forums, it is notable that nothing is being said about the lack of fairness or integrity of the election process. The credit for it goes to the Election Commission of India. The Supreme Court, of course, noted that the ECI stands on a higher pedestal in the constitutional scheme due to its functional duties.

In our Constitution, Parliament is the supreme law-making body and the Supreme Court has the power to judicially review the constitutionality of every law. I believe, the Election Commission has to be independent of the Executive. The appointments of CEC and ECs so far have been fair and politically neutral. People expect Election Commission to be fair to all the parties. They must enforce the Code of Conduct with an iron hand, just like it was done by Mr. Seshan, but without his abrasiveness. Most of the CECs who followed Seshan in office did just that. They dispensed justice with firmness but without pomp and show.

Today, our primary focus should not be on the presence or absence of the Chief Justice of India in the Select Committee but on ensuring the structural and operational independence of the Election Commission of India by giving the power or by retaining the power with the Executive to appoint the Chief Election Commissioner which is akin to giving a player the power to appoint the umpire.

For more than 70 years, the Election Commission has overseen and upheld the integrity of all national elections. It has kept nation?s democratic nature untarnished. That is the reason why people world over look up to our election processes and at times they also invite our Election Commissioners to be witness to their elections.

It is clear that article 324 has been crucial in making Election Commission of India carry out its responsibility without outside interference and this brings me to make a comparison about how other parliamentary democracies have appointed their Election Commission.

Goswami Committee had recommended certain things in 1990 and after that, in 1991, a law was framed. But when we compare it to South Africa, United Kingdom, United States, and Canada, we find a marked difference. There, the Election Commission is totally independent from the Executive. Though, at times, they are responsible to the Senate or to Parliament, as here, in our law, impeachment has become a provision where if a CEC has to be removed, he can only be removed as it is done for the judges of the Supreme Court and a correction has already been

made as an amendment in the Bill presented in Rajya Sabha. I believe that that is the right direction which the Government has taken by keeping at par the CEC with the judges of the Supreme Court.

श्री शंकर लालवानी **(इन्दौर):** सभापति महोदय, हमारे कानून मंत्री आदरणीय मेघवाल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाए हैं ।

महोदय, भारत दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है । निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव आयुक्त का निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए । इसी बात को लेकर सरकार यह बिल लायी है ।

महोदय, इस बिल का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा और शर्तों के बारे में है । इसमें जो बातें कही गयी हैं, उनमें प्रमुख बात यह है कि इसमें दो कमेटियां बनेंगी । एक सर्च कमेटी और दूसरी चयन कमेटी का गठन किया गया है, जो पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी ।

माननीय सभापति महोदय, सर्च कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे और इसके सदस्य सचिव रैंक के होंगे, जिन्हें निर्वाचन का ज्ञान और अनुभव होगा । यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विचार करेगी और उसके लिए पाँच नामों का पैनल बनाएगी । सर्च कमेटी द्वारा पाँच नामों के पैनल को चयन समिति को भेजा जाएगा ।

चयन समिति में माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में लोक सभा के विपक्ष के नेता होंगे । वैसे तो अभी लोक सभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं, पर जिस प्रकार से काँग्रेस कृत्य कर रही है, उसके कारण भविष्य में इसकी यह संख्या भी रहने वाली नहीं है । जो भी विपक्षी दल बड़ा दल होगा, उस दल के नेता और एक कैबिनेट मंत्री उसमें रहेंगे । चयन समिति पारदर्शी तरीके से चयन करेगी और उसे राष्ट्रपति जी को भेजेगी । महोदय, जैसा कि इसमें बताया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि छ: वर्षों की और 65 वर्ष की उम्र तक रहेगी । यदि चुनाव आयुक्त को हटाना भी पड़े तो जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया दी गयी है ।

महोदय, मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया कर रही है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव होंगे । मैं कानून मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मोदी सरकार के नेतृत्व में करीब 1500 अनावश्यक कानूनों को हटाया गया और कल ही माननीय गृह मंत्री जी तीन विधेयक लाए और उससे न्याय और दंड कानूनों में बदलाव किया गया, वह एक क्रांतिकारी कदम है । अगर हम पिछले वर्षों को देखें तो हम देखेंगे कि मोदी सरकार ने पूरे देश में ?वन नेशन वन टैक्स (जीएसटी)?, ?वन नेशन वन राशन कार्ड?, ?वन नेशन वन हेल्थ कार्ड (आभा)?, ?वन नेशन वन कानून?, ?वन नेशन वन ग्रिड?, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं । अब देश की जनता की यह मांग है कि ?वन नेशन वन इलेक्शन? होना चाहिए । मैं कानून मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह देश की मांग है, इसे जल्दी पूरा करें ।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री संजय सेठ **(राँची):** सभापति महोदय, जोहार ।

महोदय, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं चार लाइन्स से इसकी शुरुआत करता हूं ?

छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,

नए दौर में लिख रहे हम, मिल कर नयी कहानी,

हम हैं हिन्दुस्तानी, हम हैं हिन्दुस्तानी ।

माननीय सभापति **:** आपने बड़ा सस्वर इसे गाया ।

श्री संजय सेठ **:** महोदय, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, गीत चलता है, गीत गाते हैं ।? (व्यवधान)

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अभी भारत में सुधारों का दौर चल रहा है । इसलिए कई गलतियों को सुधारने का अवसर हम सबको मिल रहा है । हमें गौरव है कि आज़ादी के इस अमृत काल में हम इन सुधारों के साक्षी बन रहे हैं । अभी कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय कानून व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और करीब 100 साल पुराने ऐसे जटिल कानूनों को ध्वस्त किया । भारतीय न्याय व्यवस्था में यह एक क्रांतिकारी कदम है । जहां पहले सिर्फ दंड दिया जाता था, वहीं अब दंड नहीं, बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा ।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी । उन पीढ़ियों को हम एक सुलझा हुआ, मज़बूत लोकतंत्र और भारत देंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । जब भारत अपनी आज़ादी का 100 वां साल वर्ष 2047 में मनाएगा, तब हम हों न हों, परंतु हमारी पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी और हमें यह विश्वास है । हमारी पीढ़ियां यह कहेंगी कि देश को एक ऐसा प्रधान सेवक मिला था, जिसने सदियों की गुलामी और गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालने का काम किया था । उनको यह भी जानने का अवसर मिलेगा कि वर्षों तक सरकारों की क्या मजबूरियां थीं कि इन 70 सालों तक लगातार इन मजबूरियों को पिछली सरकारों ने ढोया था । अधिकतर समय कांग्रेस ने देश पर शासन किया, वे क्यों ढोते रहे, यह आने वाली पीढियां पूछेंगी । इन गुलामी की मानसिकता और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम आज हुआ है ।

महोदय, मैं इस सदन में बैठ कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम सबको यह अवसर दिया कि मैं विपक्ष के साथियों का आह्वान करता हूँ कि आइए और आजादी के इस अमृत काल में ऐतिहासिक सुधारों के गवाह बनिए । नए भारत के नवनिर्माण की बुनियाद रखी जा रही है । इस महायज्ञ में आप भी आहूति डालिए । इस यज्ञ में विध्वंसक मत बनिए । आप आहूति डालिए, आप भी पुण्य के भागीदार होंगे ।

महोदय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त विधेयक भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार की दिशा में उठाया गया एक मज़बूत और दूरदर्शी कदम है । इसलिए मैं कहता हूँ कि आइए और इस विधेयक का समर्थन कीजिए । यह विधेयक निश्चित रूप से भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में न सिर्फ बदलाव करेगा, बल्कि नए प्रयोग द्वार खोलने का काम भी करेगा । ये जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आपने इतने वर्षों तक बदलाव किया? सबसे अधिक समय तक आपने शासन किया है । आपने बदलाव की जरूरत क्यों नहीं समझी? क्योंकि आप लोकतंत्र नहीं चला रहे थे, आप राजतंत्र चला रहे थे । आप परिवार चला रहे थे । आप परिवारवाद चला रहे थे, क्योंकि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है । क्योंकि आपको एक परिवार

के भरोसे पूरे देश का संचालन करना था । किंतु अब वे दिन लद गए, अब वे दिन पूरे हो गए । अब तो मोदी की गारंटी वाला देश है । यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी पर आज पूरा देश चल रहा है । इस गारंटी में भारत का लोक भी सुरक्षित है और भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित है । यह मेरा पूरा विश्वास है । लोकतंत्र के हर घटक का सम्मान और मोदी की गारंटी आज है ।

सभापति महोदय, सोचने वाली बात है कि आखिर इतने वर्षों तक क्यों कांग्रेस को यह सब याद नहीं आया कि विपक्ष को सम्मान दिया जाए । आज पूरा देश देख रहा है कि किसने लोकतंत्र की हत्या की है । किसने लोकतंत्र को बर्बाद किया है । लोक लाज से लोकतंत्र चलता है । किसने लोक लाज को अलग हटाया है । किसने लोक लाज को सम्मान नहीं दिया । लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र को स्थापित करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है ।

सभापति महोदय, इस विधेयक में नेता प्रतिपक्ष की भागीदारी होगी । माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के हर घटक को सम्मान दिया है । लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है, उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है । परंतु विपक्ष का रवैया सकारात्मक नहीं है । विपक्ष इस मुद्दे से भटकाव चाहता है । विपक्ष का रवैया लोकतंत्र के लिए घातक है ।

सभापित महोदय, देश सकारात्मक राजनीतिक की तरफ बढ़ चुका है । देश अब सकारात्मकता चाहता है । देश अब परिणाम चाहता है । देश अब गारंटी चाहता है । देश अब विकास चाहता है । देश झूठे आश्वासन नहीं चाहता है । देश झूठे भाषण नहीं चाहता है । वे दिन लद गए, जब नेता जी आते थे, बोल कर चले जाते थे और कुछ हो नहीं पाता था । आज 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं कि कैसे मोदी की गारंटी काम कर रही है । देश से जो-जो वायदे प्रधान मंत्री मोदी जी ने किए, उनमें से एक-एक वायदा धरातल पर उतर रहा है । इसीलिए 140 करोड़ देशवासी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ।

महोदय, आजादी के इस अमृत काल में यह भारत गारंटी चाहता है । मुझे गर्व है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की हर जनता को गारंटी दी और उस गारंटी पर गारंटी को पूरा करने का काम किया है ।

महोदय, इतिहास बदल रहा है । विपक्ष भी खुद का बदले । अब इनके इशारे पर नहीं चल रहा है देश, क्योंकि जनता पहचान गई है इनका भेष । अब तक इतिहास रहा है कि केंद्र सरकार के मुखिया ही चुनाव आयुक्त का चयन करते थे ।

यही वजह है कि आज इनको सुधारों से बेचैनी हो रही है । आज मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनने वाली चयन समिति में प्रतिपक्ष के नेता को स्थान दिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के इशारों पर चलाने वाले का इशारा अब नहीं चल रहा है । यही इनकी बेचैनी है । इनका परिवार पूरा देश चलाता था । इनके इशारे पर देश चलता था, लेकिन अब इनका इशारा नहीं चल रहा है ।

महोदय, आप देखिए कि यह पूरा विपक्ष खाली है । वर्ष 2024 में पूरा विपक्ष यहां से गायब हो जाएगा । इसके लिए देश की जनता वर्ष 2024 में तैयार बैठी हैं । उन्हें बेचैनी इस बात की बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार देश के लिए कुछ कर रही है, बल्कि बेचैनी इस बात की है कि मोदी सरकार को ये सब करते, ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं । देश की जनता ने अपने प्रधान सेवक को चुना है । अब इस देश की जनता को अपने प्रधान सेवक पर 100 प्रतिशत विश्वास है ।

महोदय, इस विधेयक पर विपक्ष की आपत्ति के पीछे यही कहानी है । इनका मन जैसा है, वे हमारे बारे में वैसा ही सोच रहे हैं । बात बहुत पुरानी नहीं है । यदि हम वर्ष 1996 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रकरण को

याद करें तो यह समझ आएगी कि ये लोग क्या करते थे । आज जब यह विधेयक लोक सभा में लाया जा रहा है, इसकी चर्चा के पूर्व इन्होंने जो हंगामा किया, इसके पीछे इनकी यही मानसिकता है कि देश के लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है ।

माननीय सभापति **:** अब अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री संजय सेठ **:** महोदय, हमारे देश के 140 करोड़ देशवासी मोदी जी की गारंटी चाहते हैं । यह मोदी जी की गारंटी है । जो आज से पहले नहीं हुआ है, वैसा कुछ हम करने वाले हैं । यहाँ जो भी होगा, वह लोकतांत्रिक तरीके से होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए । यह मोदी सरकार की गारंटी है । मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, यह कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Mr. Chairperson, for giving me this opportunity.

At the outset, let me make it very clear that I stand to oppose this arbitrary and biased Bill which the Government is bringing in to ensure that the independence of Election Commission is finished forever. The reason I oppose this Bill is because if the voters start feeling that the ECI is not an impartial and non-partisan body, the legitimacy of our democracy comes into question.

Hon. Chairperson, Sir, this Bill overturns the hon. Supreme Court Constitutional Bench?s judgment on appointment of CEC and ECs. I agree that the Parliament has been given this power under Article 324. But I submit that the parliamentary power is not a power to defeat the purpose of Article 324 but rather to further its purpose. Its purpose is to ensure an independent and impartial body. But this Bill is being brought in to create an Election Commission which will work in the shadow of the Prime Minister Shri Modi. The Search Committee and Selection Committee, a total of six people, are involved in two stages. Out of these six people, there is only one independent person, that is, the LoP. Every other person either is a part of the Ruling Party or are officers who are serving in the Government. Obviously, anyone they recommend will be a person who is acceptable to the Government. And anyone with an independent mind will not be accepted. The allegation of bias will be difficult to defeat. What is the problem the Prime Minister Mr. Modi has in having the Chief Justice of India as part of the Committee? The Government has given no reason to exclude the voice of Legislature and Judiciary from the appointment. The appointment process is now in full control of the Executive, that is, the Prime Minister. Having CJI in the Committee will add legitimacy to the ECI in the eyes of the public. By bringing in such a legislation, you are ensuring that the legitimacy which the ECI enjoys now, will decrease in the eyes of the common people.

Hon. Chairperson, Sir, what is worse under Clause 8(2)? The Selection Committee can recommend the name of any persons even if they are not part of the list of names provided by the Search Committee. So, what will the Law Minister do? And under Clause 7(2), an appointment will be valid even if the Selection Committee is not validly formed or even if the Committee has vacancy. The Government is openly saying that once they have chosen a man or woman, then it cannot be challenged even if it is improperly done. So, without an LoP, you can take anyone.

Clause 5 says that a CEC or an EC can only be someone who has served as Secretary to the Government of India. Why is there only the Secretary? Why can you not expand the eligibility criteria to include anyone with knowledge and experience of how elections are conducted? Why should it not include scholars, civil society, and other persons? We can place a condition that those members must not be elected who are appointed officers or hold Government positions at the Executive, or Legislative, or Judicial branch at the time of appointment. We can add a condition that any past political affiliation can disqualify them. But to limit the appointment to the people who are Secretaries to the Government of India, the Government is basically saying that as long as you are faithful to us, we will ensure that you will get a rightful post under the Executive.

Their proximity to the existing Government is being considered as the qualification, when it should be considered otherwise. So, proximity, faithfulness and capitulation are very important for anyone to get these posts.

I now come to Clause 6. It provides that a search committee must be constituted under the Chairmanship of Law Minister. Who will appoint the two other persons? Will it be the Law Minister? Why create this facade? Say openly that the Prime Minister will appoint and get done with it. The law is unclear on to who will appoint this Committee, who will appoint the other two persons. More than this, it is obviously a political process with no independent or impartial voice to suggest names other than those that are acceptable to the hon. Prime Minister.

May I suggest that the Standing Committee for Law and Justice should participate in the process? If you do not want the Committee to prepare the list, let them at least collate recommendations or nominations of eligible people. Let the Committee at least interview the people who the search committee recommends. Let there be a democratic process so that the appointees are filtered. And what is the procedure to be adopted by the search committee? Will it be by majority or consensus? Will the dissenting party have a right to make the dissent public? Will

the minutes of meeting be made public? Will they be laid before this august House? Will both the Committees provide reasons for recommendations? All of these requirements must be part of the legislation. There should be complete transparency on who is appointed and who is not.

Now look at Clause 16. It provides a blanket immunity to EC and CEC from any proceedings or any act done in the course of the duty. For example, if they have done a patently illegal thing, should not the higher judiciary have a chance to assess their merits and hold them accountable? Why is it that you are doing this? Who are they? No one is a holy cow in Indian democracy. Even if the Prime Minister does anything wrong, he is subject to correction by judiciary.

In Anoop Baranwal case, in paragraph 9, the Constitution Bench of the Supreme Court had said:

?The Executive alone being involved in the appointment, ensures that the Commission becomes and remains a partisan body and a branch of the Executive. The independence of the Commission is intimately interlinked with the process of appointment.?

The Constitution Bench in paragraph 165 said:

?The Election Commissioners including the Chief Election Commissioner blessed with nearly infinite powers and who are to abide by the fundamental rights must be chosen not by the Executive exclusively and particularly without any objective yardstick.?

You are completely going against what the Supreme Court has said. Read paragraph ?A? of the Constitution Bench judgement,

?Like the Judiciary, the Election Commission must display fearless independence. In the absence of norms regarding the appointment, a central norm, viz., institutional integrity is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias.?

Sir, Dinesh Goswami Committee on electoral reforms in 1990 said the same thing. They said that for CEC, the Chief Justice and the Leader of Opposition should be there; and for Election Commissioner, the Chief Justice and Leader of Opposition in Lok Sabha should be there. National Commission to Review Working of the Constitution, Report 2002 said, the Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha and the

Deputy Chairman of Rajya Sabha should decide as to who should be made CEC and ECs.

Report 255 of Law Commission headed by Justice A.P. Shah said that the appointment of all ECs including CEC should be made by the President with a three-member collegium or a selection committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition in Lok Sabha and the Chief Justice of India.

What did Baba Saheb Ambedkar say? I mean you do not have regard for Baba Saheb Ambedkar. The Prime Minister and all of you say, Baba Saheb Ambedkar, this and that. But what did Baba Saheb say? Baba Saheb Ambedkar said this on 15th June, 1949. I am reading only a few lines of what great Ambedkar had said who I feel was the tallest leader India has ever produced. ... *

HON. CHAIRPERSON: Do not record these things. ? (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: What Baba Saheb Ambedkar said was that at every stage in the making of the Constituent Assembly, a Committee was to be appointed to deal with what are called Fundamental Rights.

माननीय सभापति **:** इसको डिलीट कीजिएगा । दोनों की तुलना को डिलीट कीजिएगा ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: The Committee made a report that it should be recognised that independence of election and avoidance of any interference by the Executive in the election to the legislature should be regarded as a fundamental right and provided for in the chapter dealing with fundamental rights.

When the matter came up before the House, it was the wish of the House that while there was no objection to regard this matter as of fundamental importance, it should be provided for in some other part of the Constitution and not in the chapter dealing with fundamental rights.

13.00 hrs

Baba Saheb goes on and says that but the House affirms without any kind of dissent, that in the interest of purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of the utmost importance that they should be free from any kind of interference from the executive of the day. You are going against what our Constituent Assembly and Dr. Baba Saheb Ambedkar said ? (*Interruptions*) I am concluding. Section 10 of the Bill provides that the salaries of EC and CEC shall be equivalent to the Cabinet Secretary. Why are you degrading it? Earlier, the salaries

were equivalent to the Supreme Court judges. Why is the Government doing it? It is being done to control them ? (*Interruptions*) Sir, I am concluding. It is a very important point. The salaries and benefits available to the judges of the Supreme Court can only be altered by the Parliament. Whereas the benefits and other things of the Cabinet Secretary can be decided by the Executive upon the recommendations of Central Pay Commission. Sir, it is very important to know that the Election Commission funds are not drawn from the Consolidated Fund of India. Can the Government change it? That is why I feel that this Bill creates a trust-deficit in the eyes of people for CEC and ECs. This will be wrong for our democracy. If an impartial and non-partisan body is not there, then the legitimacy of our democracy comes into question. That is why I stand to oppose this Bill. I do not know whether the hon. Minister has the authority to accept these suggestions. Thank you.

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने की अनुमति दी है । मैं आपका इसलिए भी आभारी हूं क्योंकि लोकतंत्र के नये मंदिर में मुझे पहली बार बोलने का मौका आपने दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे रिफार्म्स किए हैं, हमारे विद्वान मंत्री जी इलेक्शन कमीशन के अप्वाइंटमेंट का बिल लाए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड अदर इलेक्शन कमीशनर अप्वाइंटमेंट condition of the service and the term of the office बिल लाए हैं । मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इस बिल को राज्य सभा से पारित करके यहां भेजा गया है । मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशनर की अप्वाइंटमेंट की जिम्मेवारी देश की संसद को दी, इसी वजह से इस बिल को यहां लाया गया है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी अक्सर कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है । चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए । प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी यह पहले से कहते आ रहे हैं । प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि चुनाव कमीशन निष्पक्ष बनना चाहिए, इसी आधार पर यहां सदन में विधेयक का खंड 7 में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले संघ के किसी कैबिनेट मंत्री से मिलकर चयन समिति का इस बिल में उपबंध किया गया है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, नरेन्द्र भाई मोदी जी चुनाव रिफार्म्स के लिए दिसम्बर 2021 में एक बिल लाए थे और सदन ने उस बिल को पारित भी किया था । बिल द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट्स बिल, 2021 का बिल है । इसमें कई सारे इलेक्शन्स के लिए रिफार्म्स किए गए थे । मैं आपके माध्यम से सदन को स्मरण कराना चाहता हूं, विपक्ष में खासकर कांग्रेस के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसे अलोकतांत्रिक कहते हैं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया था । पूरा विपक्ष वैल में आया हुआ था और उसी दरम्यान बिल को पारित किया गया था ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में उस बिल का महत्व बताना चाहता हूं । इसमें बहुत से इलैक्शन रिफॉर्म्स लाए गए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म यह था कि कई लोग एक से ज्यादा जगहों से चुनाव के मतदाता के लिए नामांकित होते हैं और इसमें बहुत स्पष्ट था कि वे लोग यहां से भी चुनाव में मतदान करते हैं और दूसरी जगह से भी मतदान करते हैं और इस तरह से बोनस मतदान होता है । बोनस मतदान को रोकने और चुनाव को पारदर्शी करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार चुनाव बिल लेकर आई थी ।

इसमें आधार कार्ड के साथ मतदान कार्ड को जोड़ा गया था । ये इन लोगों का दोगलापन है । विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि वह लोकतांत्रिक बिल नरेन्द्र भाई मोदी जी लाए थे और इसे सदन ने पारित किया था । उस वक्त इन लोगों जो किया था, वह दोगलापन है । महोदय, इस बिल में जो प्रावधान है, उसकी वजह से इलैक्शन तंत्र बहुत मजबूत होगा । मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक बिल है, लोकतंत्र के लिए घातक है, मैं इनको आपात काल की याद दिलाना चाहता हूं । आपात काल में सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था । अब मोदी जी की सरकार है । हां, कई लोग जेल में बंद हैं, लेकिन जिनके यहां नोटों का, पैसों का गट्ठा मिला है, जिनके यहां 300-400 करोड़ रुपये मिले हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, ऐसे लोग सलाखों के पीछे हैं । माननीय मंत्री जी इस सदन में बिल लेकर आए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important piece of legislation which primarily deals with various aspects, such as appointment, tenure, salary, and other conditions of service of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners. Sir, I support this Bill.

Sir, there were many issues when the Bill was introduced in the Rajya Sabha on 10th August, 2023. But, while considering the Bill in the Rajya Sabha on 12th December, the hon. Minister has moved official amendments and addressed almost all issues. I am thankful to him for that. But, there are still a few issues left that I wish to flag for strengthening the institution of the Election Commission of India.

I welcome that the Search Committee which was originally proposed to be headed by a bureaucrat that is now, after official amendment, headed by the hon. Law Minister with two other members. I understand that the Selection Committee, after this amendment, will select ECs from among five persons identified by the Search Committee and no other person will be directly selected by the Selection Committee. It is welcome.

Sir, I also welcome the insertion of new Clause 15A which gives protection to the CEC and the ECs from criminal or civil proceedings for any act done or anything spoken while discharging their duties during their tenure. This will help them to work fearlessly, freely, and fairly.

The third issue I wish to submit is that the Election Commission is a quasi-judicial body and, as per Article 324, for the removal of Chief Election Commissioner, the same procedure has to be followed which is prescribed for the removal of a Supreme Court Judge. So, my point is that when the Election Commission is a quasi-judicial body and its removal is on the lines of a Supreme Court Judge ? the salary is

the same ? I feel, as hon. Member Shri Mahtab ji also suggested, it would strengthen the institution of the Election Commission if we could also consider appointing a Supreme Court Judge as an Election Commissioner. Hon. Minster may consider this.

Sir, the core function of the Election Commission is the preparation of electoral rolls and conducting elections in a free and fair manner. But, if you look at my State of Andhra Pradesh, the ground reality is the other way around. The DEOs and EROs are not following the directives of the ECI in preparing error-free electoral rolls due to various pulls and pressures.

A delegation from Telugu Desam Party met the full ECI, and a letter was also written by the former CM, Shri Nara Chandrababu Naidu garu in August and also last month about the subjugation of democratic rights of people of AP through electoral malpractices and removing the names of TDP supporters and sympathizers from the electoral list. Hence, I appeal to the Hon. Minister to immediately deploy non-local electoral roll observers in AP from the Government of India to stop electoral malpractices in AP forthwith. The unfortunate part is that the field machinery deployed, instead of correcting mistakes in the electoral rolls which is the crux of the issue, took a casual approach by transferring the responsibility to lower officers and not following strict and meticulous instructions which were given by the ECI.

Sir, due to this, there are more than 10 lakh cases that have remained unprocessed as on the date of publication of draft electoral rolls. And, after the publication of draft rolls, 13.5 lakh applications have been filed as of 13th December, 2023, for correction. Thus, a total of 23.77 lakh applications have to be enquired about by the Election Commission in Andhra Pradesh before publishing the final rolls.

Sir, the elections are approaching fast and time is running out. Hence, I appeal to the Hon. Law Minister for immediate deployment of external observers from the Government of India in order to closely monitor the electoral roll work in AP, remove deceased voters from the voter list of AP, include names of people whose names have been removed, rectify demographically and photographically similar entries, and finally, stop the deletion of names of TDP sympathizers and supporters.

With these submissions, I hope that the Hon. Minister will take serious note of what is happening in Andhra Pradesh about revision of electoral rolls and take sincere

and suitable steps to make error-free electoral rolls in AP. Thank you very much, Sir. ? (*Interruptions*)

सुधीर गुप्ता **(**मंदसौर**) :** माननीय सभापति जी, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति सेवा-शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 के समर्थन में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, देश लंबे समय तक निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रियाओं पर लगातार बहस करता रहा है । निर्वाचन की प्रक्रिया प्रणाली कैसी हो, लोगों के मन के अंदर जो भाव हैं, वे जन-सामान्य के माध्यम से सदन तक भी आते रहे हैं । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मादी जी ने एक देश में एक चुनाव को देश-दुनिया के सामने रखा था । पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई है । निर्वाचन नामावलियों को लेकर भी देश भर में कई बार प्रक्रियाबद्ध बातें होती रहती हैं कि एक बार एक निर्वाचन नामावली के आधार पर ही देश में समस्त चुनाव कराए जाएं । प्रक्रियाओं के सुधार में मुख्य भूमिका निश्चित रूप से निर्वाचन आयुक्त की होती है । आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि एक विधेयक के माध्यम से हम निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रणाली, उनकी सेवा-शर्तें और पदावधि के लिए विधेयक लेकर आए हैं । विधेयक में खंडवार विचार किया गया है और मैं निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर और समर्थन के लिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । खंड 2 में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या, जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेंगे, एक अच्छा प्रबंधन है ।

महोदय, निर्वाचन आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक के पद धारण करेंगे । निश्चित रूप से इस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा उपबंध है । निर्वाचन प्रबंधन में ऐसे व्यक्तियों का चयन होगा, जिनमें सत्यनिष्ठा हो, निर्वाचनों के प्रबंधन और उनके संचालन के ज्ञान का अनुभव हो ।

महोदय, मन में बड़ी प्रसन्नता है कि खोजबीन समिति पहले से बनाई गई एक मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सचिव रैंक के दो सदस्य सम्मिलित होंगे । यह खोजबीन समिति 5 सदस्यों का निर्वाचन करके चयन समिति के समक्ष अपने विचार को रखेगी ।

महोदय, इसमें यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति समिति, जो राष्ट्रपति को चयन समिति की सिफारिश करेगी, उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री जी करेंगे । प्रधान मंत्री जी जिस समिति की अध्यक्षता करेंगे, वह पूरी तरह से पारदर्शी है, क्योंकि उसमें विपक्ष के नेता को सदस्य के रूप में लिया गया है ।

प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए एक कैबिनेट सचिव को भी इसमें लिया गया है ।

महोदय, एक संदेह जो हमेशा विपक्षी दल बार-बार देश के सामने खड़ा करते हैं, यहां बहुत स्पष्ट है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता इसमें सदस्य होंगे । इसमें बहुत स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में अगर किसी को मान्यता नहीं है तो लोक सभा में सरकार के विपक्ष के एकल सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष का नेता समझा जाएगा । यहां देश की जनता के सामने एक अच्छा अवसर है । आज विपक्षी सदस्यों का जो देश में हाल है, उनमें से चयन करके किसी विपक्षी दल के सदस्य को इस समिति में नामित करने के लिए जनता स्वयं चुन सकती है । ऐसे सदस्य जो मिमिक्री करते हैं, अपने वरिष्ठों का अपमान करते हैं, ऐसे सदस्य जो प्रश्न विदेशों से पूछते हैं, ऐसे सदस्य जो टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य होकर विपक्ष में बैठने की कोशिश करते हैं, ऐसे सदस्य जो जातिवाद में देश को उलझाते हैं, ऐसे सदस्य जो चीनी दूतावासों में जाकर अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं, आज जनता के सामने विरोध में किसे भेजना है, विपक्ष में किसे भेजना है, उसके लिए चांस है

। जनता लोक सभा में विपक्ष का नेता उसे बनाए जो सनातन विरोधी न हो, जो राष्ट्रवादी हो । यह अवसर आज जनता के सामने है ।

महोदय, मन में प्रसन्नता है कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है । प्रसन्नता इस बात पर भी है कि इस समिति में छ: वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो आएगा, तब तक वे पदभार ग्रहण किए रहेंगे । अध्याय-तीन में स्पष्ट है कि आयुक्तों के वेतन-भत्ते, सेवा शर्तों और मंत्रिमंडलीय सचिव के वेतन-भत्ते और सेवा-शर्तों पर इस विधेयक में विचार किया गया है । निश्चित रूप से जो व्यक्ति सेवा देता है, उसके पेंशन और उसके सारांशित पेंशन के मूल्य को प्राप्त करने का प्रावधान इसमें है । अर्जित अवकाश में 50 प्रतिशत नकदीकरण का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है ।

महोदय, अगर कोई आयुक्त अपने पद को छोड़ना चाहता है तो उसको अधिकार है कि वह अपना स्वहस्ताक्षरित त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर, पद को त्याग करके सेवामुक्त हो सकता है । इसमें समस्त प्रावधान हैं । छुट्टियों से लेकर भत्तों तक प्रावधान है । इसलिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो निर्वाचन आयुक्त इस प्रणाली से चयनित होकर आएंगे, उसमें निश्चित रूप से खोजबीन समिति होगी, चयन समिति होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी । इन सब को लेकर देश एक नये दौर में खड़ा है ।

मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और इस अवसर पर जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मौका है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जिस विपक्षी दल के सदस्य को आप निर्वाचित कर रहे हैं, आज देश में जो माहौल खराब किया गया है, वे गरीबी से भी मुक्ति नहीं दिला पाए, ऐसे सदस्यों को दूर रखेंगे । यह सदस्यता जिसको मिलेगी विपक्षी दल के नेता के नाते वह भी देश को आगे ले जाने के लिए देश के साथ दो कदम आगे बढ़ा सकेगा ।

मैं इस विधेयक का पुन: पुरजोर समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री दिलीप घोष **(**मेदिनीपुर**):** धन्यवाद सभापति महोदय ।

सभापति महोदय, माननीय विधि और न्याय मंत्री जी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 बिल लाये हैं, मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह कोई नया कानून नहीं है । पूर्व से जिस नियम और व्यवस्था के आधार पर यह संचालित हो रहा था और जो चयनित हो रहे थे, उसी को कानूनी जामा पहनाने के लिए हम यहां आए हैं । यह काम महामानव उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है । उन्हीं के निर्देश पर यह विधेयक भी आया है ।

महोदय, जिसको हम दुनिया के लोकतंत्र की जननी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम चुनाव है । उसको संचालित करने वाले और इस प्रकार से गरिमामय पदों पर बैठने वाले जो महानुभाव होंगे, उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, उनका अधिकार, ये सभी चीजें साफ-साफ व्यक्त होनी चाहिए । हम जानते हैं कि इस प्रकार के पदों का पहले भी कई बार दुरुपयोग हुआ है । विशेषकर, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने जमाने में इन पदों का दुरुपयोग जहां तक संभव हो, किया है । इतना ही नहीं, इस पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का, इस पद की गरिमाओं को भी बहुत आहत किया है । आगे इस प्रकार से न हो, उसके लिए साफ-साफ इसके बारे में घोषणा होनी चाहिए ।

जिन पदों के द्वारा इस देश के महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, राज्य परिषद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य चयनित होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था साफ-सुथरी होनी चाहिए और कंट्रोवर्सी से परे होनी चाहिए । इसीलिए आज यहां पर यह विधेयक लाया गया है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और बाकी सदस्यों से भी इस बिल का समर्थन करने का आग्रह करता हूं ।

महोदय, यह जो हमारा लोकतंत्र है और इसका जो चुनाव है, यह परिष्कृत भी होना चाहिए और इसको संचालित करने वाले लोग भी इस वितर्क से ऊपर होने चाहिए । हम जानते हैं कि हमारे यहां लगभग 70-80 करोड़ लोग चुनाव में भाग लेते हैं । यह निश्चित समय पर, निश्चित रूप से पूरा भी होता है, उसका परिणाम भी आता है और फिर नई सरकार बनती है । हम जानते है कि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है । जब वहां चुनाव होता है और आठ दिनों तक चुनाव का नतीजा आता रहता है, उसके बाद भी वह साफ नहीं होता है । एक व्यक्ति को मान लेते हैं कि वह ठीक है, वह जीत गए, इसलिए उनको घोषित किया जाता है । वहां इतनी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे देश के जो पूर्वज और महानुभाव थे, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता है । उसके मत का भी उतना ही अधिकार है, जितना भारत के राष्ट्रपति के मत का अधिकार है । एक निश्चित समय पर सुचारू रूप से संचालित होकर और परिष्कृत रूप से इसका समाधान होता है ।

आज जो बिल लाया गया है, यह इस प्रकिया को पूरा करने, निर्विवाद और परिष्कृत करने के लिए आया है । मुझे लगता है कि इसके आगे भी जो चुनाव होंगे, उसमें इस प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होगी । जैसा कि गरिमामयी पदों को अपमानित किया गया है । सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद को भी नहीं छोड़ा गया है । इस वितर्क के ऊपर उनके इम्पीचमेंट की भी व्यवस्था की गई है । कहीं गलत काम करने के बाद किसी का इम्पीचमेंट हो, तो उसको बचाने का भी प्रयास किया गया है । इसीलिए इस प्रकार का पद हमेशा कंट्रोवर्सी में आ जाता है । इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा, तो आगे ऐसी संभावनाएं नहीं आएंगी ।

मुझे लगता है कि आज देश में जो सरकार है, वह सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है । इस सरकार ने बहुत सारे युगांतकारी और ऐतिहासिक काम किए हैं । बहुत से अनावश्यक कानूनों को हटाया भी है । आज ऐसे बहुत सारे दिशानुकूल तथा युगानुकूल कानून भी आए हैं । उसके लिए बहुत ज्यादा राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी, विल पावर की जरूरत थी और समाज को साथ लाने की जरूरत थी । आज ये दोनों बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं । चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे तीन तलाक कानून हटाने की बात हो, इत्यादि । कल हमने तीन कानून पारित किए हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य बिल थे, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है । ये सिर्फ कानून नहीं हैं, बल्कि भारत को भारत के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में ये सारे कदम उठाए गए हैं ।

मुझे लगता है कि आज इसकी भी जरूरत थी । सन् 1991 से यह काम चल रहा है । हमारे देश में सूझ-बूझ की व्यवस्था है । जैसा कि परिवार में होता है, लोग उसको मान लेते हैं, वह चलता है, लेकिन कानून कानून होता है । राजनीति में बहुत सारे विषयों पर अनावश्यक वितर्क भी होता है । इससे बचने के लिए इस प्रकार के कानून की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है । इसीलिए इतिहास में यह लिखा जाएगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों से यह काम हुआ है और माननीय कानून मंत्री जी इस बिल को लाए हैं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

आज सदन लगभग खाली है । आज तक जिन्होंने इस प्रकार का काम करने से रोका है, जिन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर हमारे लोकतंत्र और हमारी व्यवस्था को कलंकित किया

है, वे आज नहीं हैं । मुझे लगता है कि वे इस बिल का समर्थन नहीं करते, क्योंकि कोई अच्छा काम हो, भविष्य में हमारे देश का सिर ऊंचा हो, समाज के लोग अपने अधिकारों के बारे सीधे-सीधे बोल सकें, कानून और देश के सामने अपनी बात रख सकें, वे ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

हमारे देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, समाज को उसको पूरा-पूरा अधिकार देने और समाज में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उसका अधिकार देने के लिए वे हमेशा तत्पर रहे हैं । इसीलिए ?सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास? के स्लोगन के साथ हम काम कर रहे हैं । इसी दिशा में हमारा यह भी एक पदच्छेद है । मुझे लगता है कि इससे आगे चलकर हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और उज्ज्वल होगा । इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर इस बिल का समर्थन करें और यह बिल ठीक से पास हो जाए ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, धन्यवाद । आज सचमुच एक प्रावधान चुनाव आयोग के सदस्यों के बारे में सरकार लेकर आ रही है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें बहुत सारे परिवर्तन और इतनी बड़ी सोच है कि एक संवैधानिक संस्था, जिसकी हम सब कद्र करते हैं, सदन में आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस प्रक्रिया से चलकर आप यहां आते हैं, उसी प्रक्रिया से चुनाव जीतकर हम यहां आते हैं और देश की सरकार बनती है । मैं समझता हूं कि देश के प्रधान मंत्री ने फिर से एक ऐसी संस्था को, जिस पर समय-समय पर प्रतिपक्ष आरोप लगाता है और कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यह उस संवैधानिक पद को गरिमा देने और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के साथ इक्वेट करने तथा उनके अपॉइंटमेंट, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज़ और ट्रांजेक्शंस के बारे में है ।

महोदय, मैं इस विषय पर इसलिए आया हूं कि हम सब चुनाव लड़ते हैं । मुझे ख्याल आता है कि जब एक तरफ चुनाव की घोषणा हो जाती है, जैसे अगले वर्ष 2024 के चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया पिछले 6 महीने से प्रारम्भ हो चुकी है और हम लोग वोटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं । जब वोटर्स का पब्लिकेशन आ जाता है और वोटर लिस्ट आ जाती है । एक ऐसा व्यक्ति, एक रिटर्निंग ऑफिसर राज्य में बैठकर अंतिम गरीब के लिए तय करता है कि उसके बूथ की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए । भारत देश, जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, इसके जैसी बड़ी व्यवस्था दुनिया में किसी चुनाव आयोग की नहीं है, जो भारत के चुनाव आयोग की है । उसी प्रक्रिया से नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हम लोग अपना ऑब्जेक्शन देते हैं और जिला स्तर पर बैठक होती है । हाल-फिलहाल जिला स्तर पर बूथ समिति की बैठक हो रही थी और कलेक्टर, जो हमें रोज रिपोर्ट करता है, वह उस दिन ऊपर कुर्सी पर बैठता है तथा मैं सांसद के रूप में नीचे बैठता हूं, क्योंकि मैं सदस्य हूं । मैं अपनी टिप्पणी देता हूं, वह उस पर चर्चा करता है । ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था का ऐसा स्वरूप शायद दुनिया में कहीं नहीं हैं ।

महोदय, पहले चुनाव की घोषणा होती थी और अनाउंसमेंट होता था, लेकिन आज चुनाव आयोग जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके बाद से पूरे भारत के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति के निर्णय और उस चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं । यह हर राजनेता, हर सरकारी कर्मचारी के लिए भारत में एक ऐसी संस्था होती है, जो पूरे भारत के कर्मचारियों, भारत इलेक्टोरेट, भारत के मेनडेट को पूरा नियंत्रण कर लेती है । दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में हम लोगों ने कायम की है । इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है । यह संस्था बैठने के लिए तो छोटी होती है, जिसमें दिल्ली में चुनाव आयोग और राज्य के चुनाव आयोग होते हैं । जब लोक सभा का चुनाव होता है तो वह उनसे जुड़कर होता है । इनको यह प्रदत्त ताकत पार्लियामेंट देती है ।

हम अपना अधिकार उस कुर्सी को देते हैं, उस चुनाव आयोग को देते हैं, जो चुनाव आयोग पूरे भारतवर्ष में संचालन करता है ।

महोदय, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं । आज हमारे माननीय सदस्य गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब बैठे हुए हैं और मेघवाल साहब बैठे हैं । ये सब भारत सरकार के मंत्री हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं तथा यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दिन ये चुनाव का दाखिला करेंगे तो कलेक्टर या रिटर्निंग ऑफिसर ऊपर बैठेगा और हम उसके सामने खड़े होकर शपथ लेंगे । साहब, लोकतंत्र की यह ताकत है । यह हो सकता है कि चुनाव के बाद कलेक्टर हमारे चैम्बर में मिलने आए, लेकिन उस दिन उसकी ताकत पूरी हो जाती है । हमारी आस्था होती है कि यह चुनाव कराएगा और संपन्न कराएगा । मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव आयोग के माध्यम से ऐसा इतिहास कायम किया है, जो शायद पूरे भारत में बहुत कम लोग जानते हैं । बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में एक सवाल आता है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जहां बिना काउंटरमांड हुए 1200 बूथों पर पूर्ण चुनाव हुआ । कई बार लोग सोचते हैं कि यह कैसा सवाल है, लेकिन भारत का एक ही संसदीय क्षेत्र है, जो आज तक काउंटरमांड नहीं हुआ । काउंटरमांड के बिना वर्ष 2004 के चुनाव थे, उस समय लालू प्रसाद जी थे और मैं चुनाव लड़ रहा था । उस समय चुनाव काउंटरमांड नहीं हुआ और 1243 बूथों पर फिर से रीपोल हुआ । दुनिया के इतिहास और भारत के इतिहास में ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ होगा । ऐसा इसलिए कि 700 बूथों पर पोलिंग परसेंटेज 99.9 था और उसी चुनाव में घोषणा हुई कि ये सब गलत है । हम लोग वहां तक भी गए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था अपने आप में अचूक है । हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और उसको संविधान का दर्जा है । ज्यूडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जिक्यूटिव के साथ चौथा स्तम्भ प्रैस है और हमारा पांचवा मुख्य स्तम्भ चुनाव आयोग है । दिल्ली में एक छोटा सा कार्यालय है । उस छोटे से कार्यालय को पूरे भारत में संविधान के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से हम वह अधिकार प्रदत्त करते हैं कि अगले तीन महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है, पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और पूरे भारत की चुनावी व्यवस्था एक संस्था में केन्द्रित होती है । शायद ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी ।

मैं बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया कि जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वे ऐसी भूमिका निभाते हैं, वही चुनाव आयोग का व्यक्ति आज मेरा कलेक्टर है, वह कल रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है । सर, मैं समाप्त कर रहा हूं । चुनाव आयोग के प्रति सरकार का और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का यह निर्णय अचूक है । उस संस्था को हम मजबूत करें, हमारी ताकत बढ़े और देश में लोकतंत्र प्रणाली, जो हम लोगों ने स्थापित की है, वह बढ़ती रहे, दुनियाभर में चर्चा हो, मैं सरकार को इस निर्णय के लिए और मेघवाल साहब को इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल **:** धन्यवाद सभापति महोदय । The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 पर आज जो चर्चा प्रारम्भ हुई, उसमें लगभग 12 लोगों ने भाग लिया । वाईएसआरसीपी की चिंता अनुराधा जी से यह चर्चा शुरू हुई । संजय जयसवाल जी भी बोले, राहुल शेवाले जी भी बोले, भर्तृहरि महताब साहब ने भी कुछ सुझाव दिए, शंकर लालवानी जी भी बोले, संजय सेठ जी भी बोले और उन्होंने कविता भी पढ़ी । असादुद्दीन ओवैसी जी ने भी कुछ सुझाव दिए । डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी भी बोले, जयदेव गल्ला जी भी बोले, सुधीर गुप्ता जी भी बोले, दिलीप घोष जी भी बोले और आखिर में राजीव प्रताप रूडी साहब ने भी अपनी बात रखी और सुझाव दिए । मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस बिल पर दिए हैं ।

सभापति महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही अपनी टिप्पणी में कहा था कि जब देश आजाद हुआ था तो कांस्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका भर्तृहरि महताब साहब जिक्र कर रहे थे, चर्चा हुई थी कि देश में चुनाव कैसे होंगे तो संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल 324 बनाया था, जो कि संविधान का भाग है । उसमें उन्होंने लिखा था । Article 324(1) of the Constitution provides that: ?The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice President to be vested in Election Commission.? यह व्यवस्था आर्टिकल 324A में की गयी थी, लेकिन आर्टिकल 324(2) में एक व्यवस्था और की गयी थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी का जो पार्ट है, उसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी । इस चीज पर ध्यान नहीं गया और वर्ष 1991 में, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ष 1991 में एक एक्ट बना, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट को छोड़ दिया । वर्ष 1991 में जो एक्ट बना, उसका हेडिंग था *the Election Commission* (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) *Act*, *1991.* एक कमी रह गयी कि अपॉइंटमेंट छूट गया । इसलिए माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि एक पीआईएल अनूप बर्नवाल साहब की हुई । उसमें सुप्रीम कोर्ट ने *2* मार्च*, 2023* को यह फैसला दिया । सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया*,* जैसे कि अखबारों में चर्चा हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैंज कर रहे हैं । ऐसा कुछ नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है । डायरेक्शन है *- ?Until the Parliament makes a law in consonance with the Article 324(2) of the Constitution?.* यह स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहेगा और एक कमेटी बना दी । हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था*,* उसके तहत ही यह बिल लेकर के आपके माध्यम से सदन के सामने उपस्थित हुए हैं । इसलिए यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं । हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही यह बिल लेकर आए हैं । *2* मार्च *2023* का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था*,* उसके तहत ही लेकर आए हैं । कुछ मोटी-मोटी बातें आयी हैं*,* उनका जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

देखिए, यहां एक विषय आया है । अभी राहुल रमेश शेवाले साहब बोल रहे थे कि सर्च कमेटी में कैबिनेट सचिव है । इसमें कैबिनेट सचिव नहीं है । अब इसमें ऑफिशियली अमेंडमेंट हो गया है । अब लॉ मिनिस्टर सर्च कमेटी की अध्यक्षता करेंगे । भर्तृहरि महताब साहब ने कॉन्स्टिटयूट असेंबली के विषय में कहा और उन्होंने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का भी जिक्र किया है । उन्होंने दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में भी कहा है । मैं बताना चाहता हूँ कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म पर थी । भर्तृहरि महताब साहब जो विषय रख रहे थे, वे ठीक रख रहे थे कि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करता है । यह एग्जीक्यूटिव फंक्शन है । चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एग्जीक्युटिव फंक्शन है । इसमें प्रधान मंत्री जी न हों, यह भाव तो इसमें हो ही नहीं सकता । इस तरह से कुछ सदस्यों ने जो प्रश्न रखे हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ ।

शंकर लालवानी साहब बोल रहे थे कि इतने कानून समाप्त कर दिए गए हैं । मैं उनको एग्जेक्ट संख्या देना चाहता हूँ । हमने 1562 कानून समाप्त किए हैं । उन्होंने ?वन नेशन वन इलेक्शन? का भी जिक्र किया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी कमेटी बनी हुई है तथा आगे कार्रवाई हो रही है ।

संजय सेठ साहब ने अमृतकाल का जिक्र किया है । बिल्कुल यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अमृतकाल है । अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करने का भी कालखण्ड है । अभी देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया । देश कैसे चला, कहां तक चला, इसका हमने विश्लेषण किया । हमने इंट्रोस्पेक्शन भी किया । अब हम आगे के 25 सालों में वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत

बनाएंगे । यह अमृतकाल है, जिसकी बाबा साहेब ने कभी कल्पना की थी । उन्होंने आर्टिकल 324 को रखते समय कहा था कि अगर इस दिशा में लगता है कि कोई बुराई है तो उसकी जल्दी पहचान करके उसको दूर करें ।

कांग्रेस ने क्या किया? बाबा साहेब ने यह वर्ष 1949 में कहा था । कांग्रेस ने पहचान भी की तो आधी-अधूरी की । ये सन् 1901 में एक एक्ट लेकर आए और उसमें अधूरापन छोड़ दिया । अब यह मोदी जी का कालखंड है । यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है । असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ मुद्दे उठाए हैं कि आप बाबा साहेब का सम्मान नहीं करते हैं । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब का जितना सम्मान करते हैं, उतना मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रधान मंत्री जी ने सम्मान किया होगा । ये पंचतीर्थ मोदी जी के कालखंड में ही तैयार हुए हैं । चाहे जन्म भूमि हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, शिक्षा भूमि हो या परिनिर्वाण भूमि हो । मैं 26, अलीपुर रोड का जिक्र करता हूँ, जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी । वहां 100 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्मारक बनवाया गया है, जो बाबा साहेब के जीवन के कालखंड को दर्शाता है । औवेसी साहब को जाकर वह देखना चाहिए । ये मोदी जी के कालखंड में ही बना है और जनपथ पर, जहां हम भी कई बार मीटिंग्स करते हैं, वह डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेन्टर भी 200 करोड़ की लागत से मोदी जी के ही कालखंड में बना है । बाबा साहेब का जितना सम्मान मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और प्रधान मंत्री जी ने किया होगा । मुझे लगता है कि वे गलत तथ्य पेश कर गए ।

बाबा साहेब के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में एक और अच्छी चीज हुई है, जिसका जिक्र मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूँ और मैं इस सदन के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूँ कि सन् 1923 में डॉ. बी.आर अम्बेडकर साहब एज एन एडवोकेट मुम्बई हाई कोर्ट में एनरोल हुए और वर्ष 2023 में उनके एज ए एडवोकेट के 100 साल पूरे हुए । बाबा साहेब की एडवोकेट की वेशभूषा में कहीं भी कोई मूर्ति नहीं थी तथा आज सुप्रीम कोर्ट के मैन लॉन में बाबा साहेब के एडवोकेट की वेशभूषा में एक प्रतिमा लगाई है, जो कि बहुत सुंदर प्रतिमा है । इसके माध्यम से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूँ । बाकी जयदेव गल्ला साहब ने इस पर कुछ सुझाव दिए हैं । हमने नोट किया है । औवेसी साहब का एक विषय आया है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैं क्लॉज 5 का जिक्र करना चाहता हूँ । क्लॉज 5 यह कहता है - ?The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall be appointed from amongst persons who are holding or have held a post equivalent to the rank of Secretary to the Government of India and shall be persons of integrity, who have knowledge of and experience in management and conduct of elections.? इसका मतलब क्वालिफिकेशन दी हुई है । उसका उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया । वे शायद बोलकर चले भी गए हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे लगता है कि चर्चा में जो बिन्दु आए थे, उन सभी का जवाब दे दिया गया है ।

मैं अनुरोध करता हूं कि The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 को सर्वसम्मति को पास किया जाए । मेरा आपके माध्यम से इस महान सदन से यह अनुरोध है ।

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है:

?कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 से 21 विधेयक के अंग बनें ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 2 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल **:** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____

<u>13.41 hrs</u>